


13/1/17

वकील पार्सी एवं पार्योगा अनुपरिचय। उन्हे सब सब कर
इतनास दे उठने तक अवाजे लगवाई गई लेकिन कोई
उपरिचय नहीं आया। कतः प्रकरण अहम हाजिरी अहम
पेशी में खारिज में खारिज किया जाता है। मिसल कसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दफ्तर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

